2005:CGHC:4701

/– कैदी की अपील –/

खंडपीठ (दांडिक)

क्र.सं. 3364 **नाम :** बेको धुर्वा

पिता का नाम : देवा **पता:** ग्राम –पटेलपारा, थाना–टोंगपाल, जिला–बस्तर

आयु : 38 वर्ष **सज़ा :** आजीवन कारावास

दिनांक : 16.7.93 **धारा :** 302 भारतीय दंड संहिता

द्वारा : प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर

S.T. No. 78/93

यह कैदी को समझाया गया कि यदि वह कहे कि वह किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करवाना चाहता है, तो अपीलीय न्यायालय मामले को सात दिन तक स्थगित करेगा, जब तक विधिक प्रतिनिधि उपस्थित न हो जाए। यदि सात दिन में विधिक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो यदि कैदी कहे कि वह विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं चाहता, तो न्यायालय मामले की सुनवाई तुरंत शुरू कर सकता है और किसी विधिक प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए बाध्य नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की तिथि : नहीं
2. निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि : 16/7/93
3. अपील प्रस्तुत करने की तिथि : 21/7/93
4. क्या कैदी प्रतिनिधित्व चाहता है या नहीं : नहीं

क्र.सं. 3364 **कैदी का नाम :** बेको धुर्वा **पिता :** देवा

जारी रखा : 14/9/92 से **16/07/93 जेल:** जगदलपुर–बस्तर

क्रमांक : 957 / आक्टागोनल **/ 93** **दिनांक 21/7/93**

प्रेषित : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर

निर्णय की प्रति के साथ अपीलीय न्यायालय को प्रेषित ।

अधीक्षक जनरल /
जिला / उप–जेल

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्राप्ति की तिथि : 21/7/93

अपीलीय न्यायालय का अपील ज्ञापन रिकॉर्ड की प्राप्ति की

क्र.सं : 18/93 तिथि : **28/7/93**

प्रेषित किया गया : सत्र न्यायाधीश: जगदलपुर

मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट

अपील न्यायालय में प्राप्ति की तिथि

2005:CGHC:4701

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या : 1120/1993

बेको धुर्वा

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य

कोरम : माननीय श्री फखरुद्दीन एवं

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

अपीलकर्ता की ओर से श्री एन. के. चटर्जी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री यू. एन. एस. देव एवं श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता / अतिरिक्त लोक अभियोजक ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

॥ निर्णय ॥

(दिनांक 14.09.2005 को प्रदान किया गया)

द्वारा : श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

1. यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदलपुर, जिला बस्तर, श्री टी. सी. यादव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 78/1993 में दिनांक 16 जुलाई 1993 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता को दिनांक **10/9/1992** को लगभग शाम **5:00** बजे बेको गंगा की हत्या करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा **302** के अधीन दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया था।

2. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि, यह घटना बेको गंगा और उसके बड़े भाई बेको देवा के बीच संपत्ति विवाद का परिणाम था । दिनांक 10.09.1992 को लगभग शाम 5:00 बजे बेको धुर्वा, जो कि बेको देवा का पुत्र है, ने बेको गंगा से झगड़ा किया और उसे धमकी दी कि यदि उसने भूमि में उनका हिस्सा नहीं दिया तो वह उसे जान से मार डालेगा। उसी रात बेको लकमा (अ. सा.1) अपने घर में अपने पिता, बेको गंगा और माँ बेको मासाय (अ. सा.2) के साथ था, लगभग शाम 7:30 बेको लकमा (अ. सा.1) का साला उनके घर आया और बेको गंगा को यह कहते हुए अपने साथ ले गया कि वह उसे

उसके काटेज तक छोड़ देगा । कुछ समय बाद बेको मासाय (अ. सा.2) ने "बचाओ–बचाओ" की आवाजें सुनीं। इस पर बेको लकमा (अ. सा.1) और बेको मासाय (अ. सा.2) घर से बाहर आए और देखा कि बेको गंगा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाएँ आँख के ऊपर से और नाक से खून बह रहा था। बेको धुर्वा वहीं पास में खड़ा था। एक लाठी भी वहाँ पड़ी हुई थी। बेको गंगा की सिर की चोट के कारण मृत्यु हो गई। बेको लकमा (अ.सा.1) ने थाना टोंगपाल में एफ.आई.आर. (प्रदर्श.पी.1) दर्ज करवाई। 12.09.1992 को सहायक उपनिरीक्षक डी.आर. सिंह (अ.सा.7) द्वारा मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श.पी.14) के द्वारा तैयार किया गया। मर्ग सूचना थाना टोंगपाल में 11.09.1992 को प्रदर्श.पी.13 के द्वारा दर्ज की गई।

3. डॉ. पी.एन. शांडिल्य (अ. सा.6) ने शव का परीक्षण किया : बाईं आँख के बीच के हिस्से में, भौंह के नीचे फटा हुआ घाव पाया, दाईं आँख के कोने पर भौंह की बाहरी ओर 1 इंच x 0.2 इंच का अर्द्धवृत्ताकार प्रकृति का कटा हुआ घाव पाया, जिसमें साफ कटाव और रक्तस्राव था, बाईं पसलियों के किनारे पर नीला पड़ने का निशान, बाएँ हाथ पर फफोला, त्वचा उधड़ी हुई, बाएँ कांधे के नीचे बगल की ओर खरोंच का घाव, बाएँ कान के पास खून का थक्का, बाईं आँख के बीच के हिस्से में अनियमित आकार का 3" x 3" का फटा हुआ घाव, जिसमें खून का थक्का मौजूद था। डॉक्टर की राय में सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थीं। बाईं ओर की टेम्पोरल हड्डी टूट गई थी। मृत्यु का कारण बाएँ कान से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव और टेम्पोरल हड्डी के फ्रैक्चर से हुए मस्तिष्क में रक्तस्राव (ब्रेन हैमरेज) को माना गया। मृत्यु को शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श.पी.8) के आधार पर मृत्यु का हत्यात्मक प्रकृति का माना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. बेको धुर्वा के मेमोरेंडम (प्रदर्श.पी.2) के आधार पर एक लाठी प्रदर्श प्रदर्श.पी.3 के द्वारा किया गया। अपीलकर्ता से खून जैसे धब्बों वाला एक सूती बनियान और एक लाल रंग का। सूती गमछा भी प्रदर्श.पी.4 के द्वारा जब्त किया गया । विवेचना पूर्ण होने के बाद अपीलकर्ता बेको धुर्वा एवं एक अन्य आरोपी मांड़वी गुड्डी के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया ।

5. अपीलकर्ता ने आरोप से इंकार किया, स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक किया और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय ने (अ.सा.1) बेको लकमा, (अ.सा.2) बेको मासाय, एवं (अ.सा.4) बेको सुकड़ी की चक्षुदर्शी साक्ष्य का अवलन लेते हुए और डॉ. पी.एन. शांडिल्य (अ.सा.6) के चिकित्सकीय साक्ष्य से विधिवत संपुष्टि होती है। अपीलकर्ता बेको धुर्वा को बेको गंगा की हत्या कारित करने हेतु धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए उपरोक्तानुसार दंडित किया गया। सह–आरोपी माड़वी गुड्डी को दोष मुक्त कर दिया गया।

6. श्री एन.के. चटर्जी, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान (अ.सा.2) बेको मासाय के प्रति परीक्षण के पैरा 2 में दिए गए कथन की ओर आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह घटना त्योहार के दिन की है, जब अपीलकर्ता बेको धुर्वा और उनके पति बेको गंगा ने शराब पी रखी थी और संपत्ति विवाद को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। झगड़े के दौरान अचानक बेको धुर्वा ने गुस्से में आकर लाठी से बेको गंगा के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि (अ.सा.4) बेको सुकड़ी ने भी अपनी प्रति परीक्षण के पैरा 2 बेको मासाय के उपरोक्त कथन की पुष्टि की गई है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि अचानक हुए झगड़े और आवेश में आकर बेको धुर्वा ने बेको गंगा के सिर पर लाठी से वार किया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि बेको धुर्वा ने बेको गंगा की हत्या करने का आशय रखता था। उन्होंने कहा कि अधिकतम यह कहा जा सकता है कि बेको धुर्वा को यह ज्ञान हो सकता था कि सिर पर वार करने से मृत्यु हो सकती है, और इसलिए यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–2 के अंतर्गत आता है, न कि धारा 302 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता बेको धुर्वा 14.09.1992 से जेल में है, अर्थात् लगभग 13 वर्षों से, अतः न्याय के हित में यही उचित होगा कि उसे अब तक के दंड को ही पर्याप्त माना जाए। वहीं, राज्य की ओर से माननीय लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। हमने अभिलेख का परीशीलन किया अ.सा.1 बेको लकमा, अ.सा.2 बेको मासाय और अ.सा.4 बेको सुकड़ी के कथन का अवलोकन किया। अ.सा.2 बेको मासाय और अ.सा..4 बेको सुकड़ी ने एक–दूसरे साक्ष्य की पुष्टि की है कि अपीलकर्ता ने बेको गंगा के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे वह गिर पड़ा। अ.सा.1 बेको लकमा ने भी साक्ष्य दिया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बेको गंगा ज़मीन पर पड़ा था और अपीलकर्ता बेको धुर्वा पास में खड़ा था। इन गवाहों की प्रति परीक्षण के दौरान उनकी गवाही का खंडन करने के लिए कुछ भी उजागर नहीं हुआ। अ.सा.2 बेको मैसी व बेको सूडकी के प्रति परीक्षण में केवल एक तथ्य उभर कर आया है कि अपीलकर्ता और मृतक ने शराब पी रखी थी, और उनके बीच झगड़ा संपत्ति विवाद को लेकर हुआ था और अपीलकर्ता अचानक उत्तेजित होकर बेको गंगा के सिर पर लाठी से वार कर बैठा। उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि डॉ. पी.एन. शांडिल्य (अ.सा.6) की गवाही से होती है, जिन्होंने बेको गंगा की टेम्पोरल हड्डी में फ्रेक्चर पाया और उसके परिणामिक बाहरी चोटें भी देखीं ।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता बेको धुर्वा ने लाठी से सिर पर प्रहार कर बेको गंगा की मृत्यु कारित की ।

9. अब विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह शेष रह जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा कौन–सा अपराध किया गया था । *म. प्र. राज्य बनाम झड्डू वो अन्य.* ***1991 SCC (Cri) 716,*** में यह तथ्य सामने आया था कि अपीलकर्ता ने शरीर के मरमातक भाग जैसे कि छाती पर लाठी के कई प्रहार किए, जिससे पसलियों में फ्रैक्चर व फेफड़ों में फटाव हुआ और मृत्यु हो गई। तथ्यों के आधार पर यह कहा गया कि आरोपियों का हत्या करने का कोई पूर्व आशय नहीं था, लेकिन यह ज्ञान था कि इस प्रकार के वार से मृत्यु संभव है। अतः दोषसिद्धि को धारा 304 भाग–2 में परिवर्तित कर दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 10 वर्षों के सश्रम कारावास के दंड को बरकरार रखा गया । *रवि कुमार बनाम पंजाब राज्य* ***2005 Cri.L.J.1742*** में अचानक हुई लड़ाई में आरोपी ने मृतक धंगू को उठाकर उसके सिर पर दो वार किए, जो घातक साबित हुआ। इस प्रकरण में यह माना गया कि आरोपी ने बिना पूर्वनियोजित योजना के, अचानक हुए झगड़े में यह कृत्य किया, इसलिए उसे धारा 304 भाग–2 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि 8 वर्षों के दंड से न्याय की पूर्ति की जाएगी। वर्तमान मामले में, बेको मासाय (अ.सा.2) और बेको सुकड़ी (अ.सा.4) की गवाही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलकर्ता और मृतक दोनों ने शराब पी रखी थी और संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ रहे थे। शराब के प्रभाव में, अपीलकर्ता अचानक क्रोधित हुआ और बेको गंगा के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह भी साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता बेको धुर्वा ने बेको गंगा पर अचानक हुए झगड़े में, आवेश में आकर वार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मामले की परिस्थिति और घटना के तरीके से प्रतीत होता है कि, बेको गंगा को कारित चोट तथा बेको मासाय (अ.सा.2) और बेको सुकड़ी (अ.सा.4) की गवाही को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलकर्ता का बेको गंगा की हत्या करने का कोई आशय नहीं था, यद्यपि यह ज्ञान अवश्य था कि सिर पर लाठी से वार करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग–2 के अंतर्गत आता है ।

11. फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता बेको धुर्वा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–2 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। वह 14.09.1992 से जेल में है और पहले ही

यह दंड भुगत चुका है। अतः निर्देशित दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता बेको धुर्वा की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं है, तो उसे अविलंब मुक्त किया जाए ।

सही /–

(फखरुद्दीन)

न्ययमूर्ति

सही /–

(दिलीप रावसाहेब देशमुख)

न्यायमूर्ति

दिनांक: 14.09.2005

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By — Adv. Abhishek Kumar Rai.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur